न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

वाद पत्र संख्या– 55/2023

1. ललिता पुत्री छीतरमल, उम्र 55 साल
2. चन्दा पुत्री छीतरमल, उम्र 26 साल

समस्त जाति जाट निवासी गुढाकुमावतान, तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

प्रार्थीयागण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956
बाबत् नाम दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थितः– 1. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–06.06.2024

प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि वाकै ग्राम गुढा कुमावतान, पटवार हल्का बोबास, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर, तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण के खाता सं0 53 की आराजी खं0न0 72/3 रकबा 0.7461 है0 मे फुला का हिस्सा 1/20 तथा ललिता का हिस्सा 1/20 प्रार्थीयागण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। जिस पर प्रार्थीयागण अपनी उपरोक्त आराजीयात मे अपने दर्ज हिस्से पर काबिज है और भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है।

प्रार्थीया फूला का वास्तविक नाम चन्दा है व प्रार्थीया सुमन का वास्तविक नाम ललिता दर्ज है। लेकिन वादीया चन्दा को घर पर एवं गांव मे फूला व वादीया ललिता को सुमन के नाम से पुकारने के कारण वादीया के पिता की विरासत का नामान्तकरण खोला गया तब वादीया का नाम उपरोक्त वर्णित अराजियात मे सहवन से घर पर बोलता नाम फूला व सुमन अंकित कर दिया गया जबकि वादीया फूला व सुमन का सही नाम चन्दा व ललिता है वादीगण की खातेदारी मे उसका बोलचाल का नाम फूला व सुमन दर्ज होने की वादीगण को पूर्व मे जानकारी नही थी। प्रार्थी को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात पूर्व मे वादीगण के पिता छीतरमल के नाम दर्ज थी इनके पिता छीतरमल पुत्र सुवालाल दिनांक 16/5/2000 को आज से करीब 23 वर्ष पहले फौत हो गये थे उस समय दोनो वादीया नाबालिक थी इनके पिता छीतरमल का जब फौती नामान्तकरण भरा गया तो इनका नाम नामान्तकरण मे गलत दर्ज कर दिया गया जब इनके पिता का फौती नामान्तकरण भरा गया था तब इनकी उम्र 10 व 8 वर्ष थी इनकी माता

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नोरती देवी भी एक अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला थी गांव के लोगो ने छीतरमल के फौती नामान्तकरण मे गलत नाम दर्ज करवा दिया। ललिता की जन्म दिनांक 02/12/1992 है तथा चन्दा की जन्मतिथि 18/8/1997 है। दोनो बालिग हो चुकी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे नाबालिग दर्ज कर रखा है जिसे भी शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गुढा कुमावतान के खाता सं० 53 की आराजी खं०न० 72/3 रकबा 0.7461 है० में प्रार्थीया का नाम फुला पुत्री छीतरमल के स्थान पर चन्दा पुत्री छीतरमल एवं सुमन पुत्री छीतरमल के स्थान ललिता पुत्री छीतरमल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल–दरामद हेतु तहसीलदार जी जोबनेर को आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा जवाब/रिपोर्ट दिनांक 14.02.2024 को इस आशय की पेश की गयी कि प्रार्थी के खसरा नं0 72/3 रकबा 0.7461 हे0 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदार नाबालिग फुला पुत्री छीतर संरक्षक सरपरस्त माता नोरती, नाबालिक सुमन पुत्री छीतर संरक्षक सरपरस्त माता नोरती जाति जाट के नाम दर्ज है। प्रार्थीया को खातेदारी जरिए विरासत प्राप्त हुई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत आईदान का बास सरपंच प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2023 पेश किया। जिसके अनुसार फुला देवी पुत्री छीतर मल का वास्तविक नाम चन्दा देवी पुत्री छीतरमल तथा सुमन पुत्री छीतर मल का वास्तविक नाम ललिता पुत्री छीतरमल है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गुढा कुमावतान के खाता सं0 53 की आराजी खं0न0 72/3 रकबा 0.7461 है0 में प्रार्थीया का नाम फुला पुत्री छीतरमल के स्थान पर चन्दा पुत्री छीतरमल एवं सुमन पुत्री छीतरमल के स्थान ललिता पुत्री छीतरमल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल–दरामद किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)